

12/10/17 वकील प्रवी उदरिफ्त। अज्ञायी सलग 1 अज्ञायी व अज्ञायी 2,3 के गेटिंग तामिल हेतु जात पत्रावली वास्तु जवाब हेतु डिमांड 14/12/17 को पेश हो। ह

उपस्थित अधिकारी
(मसूदा अजमेर)

14/12/17 एक फली या पी ओ सादर ^{अन्य काम के कारण} अतः पत्रावली वास्तु पूरा नयत कार्यवाही हेतु दि. 21/12/18 को पेश हो। ह

22/2/18 वकील प्रवी उदरिफ्त। अज्ञायी हाजिर रही आज उन्हे इन्फार्म वक्त लड बार 92 अकोज लगवई गई परन्तु उन्की और से कोई अदालत उदरिफ्त नही आया इत अज्ञायी सलग 1 की एक तबयत कार्यवाही अदालत के लाई जाते है वकील प्रवी ने अज्ञायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया वकील प्रवी के अज्ञायी का पत्रा 212 पर बहल सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि एक हुजूम सहस्रिका संलग्न प्रामे गज के पास के अज्ञायी अतः गज असुदा द्वितीया तहसील मसूदा के 2 नवंबर 3446 खता 03-10-00 बीदा मुंसि के अज्ञायी को लापता कर लड अज्ञायी अज्ञायी निषेधाज्ञा के पाकड किया जाते है तथा बाद पत्र का निवेदन गेटिंग पर होना है जिसल फिल्ल सुमर होकर नवंबर के एक दिवस दाखिल अदालत होना तथा बाद के साथ नयी हो। ह

(सुरेश चावला)
उपस्थित अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज 0

